न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–120 / 2018
धारा–107 द०प्र०सं०
कृष्ण दास वगैरह .....प्रथम पक्ष
बनाम
कनल लोहरा वगैरह .....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश	
06/04/2019	प्रस्तुत वाद में राहे ओ.पी. के अप्राथमिकी संख्या–40 / 18 दिनांक–18 / 08 / 2018 के तहत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है। यह विवाद नदी में स्नान करने एवं लड़का–लड़की के बात को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों द्वारा कारण पृच्छा प्रस्तुत करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने से संबंधित आरोप लगाया है। प्रथम पक्ष ने अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि प्रथम पक्ष के लोग अपने गाँव के शांतिप्रिय, सन्मानित एवं प्रतिष्ठित ग्रामीण है, द्वितीय पक्ष के लोग दबंग, झगड़ालू, उदण्ड एवं अशांत प्रवृत्ति के व्यक्ति है। दिनांक–17 / 08 / 18 को द्वितीय पक्ष के लोग कृष्ण दास के घर आकर हाथापायी, झगड़ा, मारपीट किए तथा गंदी–गंदी गालियाँ भी दिए। 16 / 08 / 18 को भी जब प्रथम पक्ष के सदस्य नहर में नहा रहे थे, तब द्वितीय पक्ष के मनोहर लोहरा ने प्रथम पक्ष के परिवार के सदस्यों पर छींटाकशी किये। मना किया तो मनोहर लोहरा, महावीर दास से उलझ गए एवं मारपीट करने लगे। द्वितीय पक्ष ने अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि द्वितीय पक्ष सीधा–साधा तबके के व्यक्ति है। प्रथम पक्ष के लोग काफी अराम्य और उदण्ड प्रवृत्ति के व्यक्ति है। 17 / 08 / 18 को किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। प्रथम पक्ष ने झूठा मुकदमा राहे ओ.पी. में किया है। प्रथम पक्ष का नहाने एवं घर संबंधी अन्य कार्य हेतु अलग घाट है एवं विपक्षी का नहाने एवं घर संबंधी अन्य कार्य हेतु अलग घाट है। प्रथम पक्ष स्वतंत्र गवाह 1 :– कार्तिक गोंझू, पिता–रामजीवन गोंझू ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि दिनांक–17 / 08 / 18 को कमल लोहरा का परिवार मनोहर लोहरा, घटमनी देवी, राकेश लोहरा आए और कृष्ण दास के घर में गंदी–गंदी गाली दिए और वीणा देवी, विकास दास आदि को मारपीट किए। उस समय में नहर में था। नहर से मैं घटना को देख रहा था, इसरो पहले भी 16 / 08 / 18 को जब कृष्ण दास की पत्नी नहर में नहा रही थी तब मनोहर लोहरा कुछ व्यंग्य कस रहा था। महावीर दास देखा और मना किया तब दोनों में झगड़ा हुआ। कमल लोहरा वगैरह झगड़ालू और दबंग किस्म के व्यक्ति है। प्रथम पक्ष स्वतंत्र गवाह 2:– रामगुलाम अहीर, पिता–केल्वर अहीर ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि दिनांक–17 / 8 / 18 को झगड़ा हुआ था। मैं थोड़ा दूर में खड़ा होकर झगड़ा को देखा था। कृष्ण दास के घर कमल लोहरा, मनोहर लोहरा, घटमनी देवी, राकेश लोहरा झगड़ा करने गये थे। 16 / 08 / 18 को भी गाली–गलौज हुआ था। मनोहर लोहरा, कृष्ण दास के परिवार को गाली–गलौजकिया था। द्वितीय पक्ष के लोग झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है। केस होने के बाद दोनों पक्ष में झगड़ा नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष पार्टी गवाह:– कृष्ण दास पिता–स्व0 सुदर्शन दास ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि दिनांक–17 / 8 / 18 को 7:30 बजे सुबह द्वितीय पक्ष मेरा घर आकर गन्दा–गन्दा गाली एवं घर में घुसकर मारपीट किया है। इसलिए इनलोगों को केस किया हूँ। जब से केस हुआ है, कमल लोहरा से झगड़ा नहीं हुआ है। 16 / 08 / 18 को मनोहर लोहरा ने गहावीर दास से मारपीट किया। द्वितीय पक्ष पार्टी गवाह:– कमल लोहरा पिता–रामेश्वर लोहरा ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि यह बात गलत है कि प्रथम पक्ष के लोगों को दिनांक–17 / 8 / 18 को घर में घुसकर हमलोग मारपीट नहीं किए है। प्रथम पक्ष हमलोगो के उपर झूठा केस किया है। 16 / 08 / 2018 को नहर में कुछ नहीं हुआ था। कृष्ण दास और मेरा घर नहर के इस पार और उस पार है। नहाने का घाट भी अलग है।	

तिथि	आदेश	
	वाद में प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा, गवाहों की गवाही एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि विवाद नहर में नहाने के दौरान उत्पन्न हुआ है। वर्त्तमान में शांति–व्यवस्था कायम है तथा शांति भंग होने की संभावना की पुष्टि नहीं हो पायी है। उभय पक्ष को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में भी शांति बनाये रखे। लेखापित एवं संशोधित। कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)	

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.26 15:08:45 +05:30
Location: 10.93.79.5